(12)

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

एफ.4(1)( )पोषा/S.H.G./मबावि/2007/6485-820 जयपुर, दिनांक 1.2.10

उप निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
समस्त। (बांसवाड़ा छोड़कर)

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं
समस्त।

विषय :-- आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जा रहे पूरक पोषाहार की विकेन्द्रीकृत व्यवस्था में पी.एफ.ए. अधिनियम--1954 के प्रावधानों की पालना कराने बाबत्।

संदर्भ :-- भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का परिपत्र दि.--24.02.09 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय दि.--22.04.09

उपर्युक्त विषयान्तर्गत आयुवर्ग 0 से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं एवं आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को नाश्ता एवं अतिरिक्त पूरक पोषाहार स्थानीय स्तर पर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की योजनान्तर्गत तीन चरणों में 98 बाल विकास परियोजनाओं में विस्तार कर दिया गया है एवं चतुर्थ चरण में 62 बाल विकास परियोजनाओं में इसका विस्तार दिनांक 21.01.2010 से 20.02.2010 तक करने के निर्देश दिनांक 01.01.2010 को जारी किये जा चुके हैं। आयुवर्ग 3--6 वर्ष के बच्चों को गरम पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि माह अगस्त, 2010 तक इसका विस्तार राज्य की सभी बाल विकास परियोजनाओं में किये जाने की कार्य योजना माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का परिपत्र दिनांक--24.02.09 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय दिनांक--22.04.09 के अनुसार पूरक पोषाहार वितरण व्यवस्था में पी.एफ.ए. अधिनियम--1954 के प्रावधानों की पालना की जानी है।

इस सम्बन्ध में निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज. जयपुर ने पत्र कमांक--205, दिनांक 06.05.09 के द्वारा अवगत कराया है कि यदि महिला स्वयं सहायता समूह, अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियां/मातृ समितियों द्वारा खाद्य पदार्थों का कय विकय किया जाता है तो उन संस्थाओं पर पी.एफ.ए. अधिनियम--1954 के प्रावधान लागू होते हैं। संस्थाओं का कार्य क्षेत्र शहरी क्षेत्र हो तो उन्हें सम्बन्धित नगर परिषद/नगरपालिका से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं को सम्बन्धित जिले के उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से खाद्य अनुज्ञा--पत्र (Licence) प्राप्त करना अनिवार्य है। अतः विकेन्द्रीकृत पूरक पोषाहार व्यवस्था के अन्तर्गत महिला स्वयं सहायता समूह, अन्नपूर्णा महिला सहकारी समितियां/मातृ समितियों को अनुज्ञा--पत्र (Licence) प्राप्त करने हेतु निर्देश प्रदान करावें एवं इन से प्राप्त किये जा रहे पूरक पोषाहार के उत्पादन, भण्डारण एवं वितरण तथा पोषाहार के पैकिंग पाउच पर पोषाहार के अंशों (Ingredients) का अंकन (Printing) करते हुए पी.एफ.ए.एक्ट--1954 की पालना कराया जाना सुनिश्चित करें।

इस व्यवस्था से पूरक पोषाहार की दरों पर पड़ने वाले प्रभाव, पैकिंग इत्यादि हेतु प्लान्ट एवं मशीनरी, स्वयं सहायता समूहों का रूझान एवं इस प्रकिया में आ रही बाधाओं/समस्याओ इत्यादि के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर निदेशालय को शीघ्र प्रेषित करावें ताकि उपयुक्त निराकरण किया जा सके।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राज. जयपुर।

एफ.4(1)( )पोषा/S.H.G./मबावि/2007/ जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपि :-- रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राज. जयपुर।